

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 892/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 16.11.2015

फाइलिंग नंबर : 230303005582015

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

#### बनाम

1—नरेन्द्र कुशवाह पुत्र सत्यनारायण उम्र 22 वर्ष  
2—देवेन्द्र पुत्र सत्यनारायण कुशवाह उम्र 30 वर्ष  
7—बिट्टीबाई पत्नी सत्यनारायण उम्र 50 वर्ष निवासीगण वार्ड  
नं० 16 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा—498ए, 323 भा०दं०सं० )

( राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री अरविन्द शर्मा )

#### निर्णय

( आज दिनांक 22-09-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 05.08.15 एवं उसके पूर्व से वार्ड नं० 16 गोहद में फरियादिया रामाबाई के पति/नातेदार होकर फरियादिया रामाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित करने एवं दिनांक 05.08.15 को दिन के लगभग ढाई बजे वार्ड नं० 16 गोहद में फरियादिया रामाबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा०दं०सं० की धारा 498ए एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया रामाबाई की शादी दिनांक 05.08.15 के चार साल पूर्व आरोपी नरेन्द्र के साथ हुई थी। उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था तभी से उसके जेठ देवेन्द्र, सास बिट्टीबाई एवं पति नरेन्द्र उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते चले रहे थे तब उसने आरोपीगण के विरुद्ध आवेदन दिया था जिसमें आरोपीगण ने राजीनामा कर लिया था परिवार परामर्श केन्द्र में भी यही हुआ था लेकिन आरोपीगण में कोई सुधार नहीं हुआ था। दिनांक 05.08.15 को

उसकी सास बिट्टीबाई ने उसे प्रताड़ना देकर उसकी मारपीट की थी जिससे उसके सिर में चोट आई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0 252/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादिया रामबाई द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 498ए के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.08.15 एवं उसके पूर्व से वार्ड नं0 16 गोहद में फरियादिया रामाबाई के पति/नातेदार होकर फरियादिया रामाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी की ओर से फरियादिया रामाबाई अ0सा01, साक्षी जवानसिंह अ0सा02 डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03, प्रतापसिंह अ0सा04 एवं एस0आई0 जजसिंह यादव अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया रामाबाई अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी नरेन्द्र उसका पति, बिट्टीबाई उसकी सास एवं देवेन्द्र उसका जेठ है। उसकी शादी दिनांक 02.04.12 को नरेन्द्र के साथ हुई थी। उसे एक महीने सही रखा था उसके बाद उसके पति, सास और जेठ उसकी मारपीट करते थे। आरोपीगण उससे दहेज मांगते थे। आरोपीगण उसे ले आते थे और बार-बार उसकी मारपीट करते थे। आरोपीगण जब ज्यादा परेशान करने लगे थे तब उसके पिता ने परिवार परामर्श केन्द्र में दावा किया था वहां उसका राजीनामा हो गया था आरोपीगण उसे ले आये थे एवं फिर उसकी मारपीट करने लगे थे। उसके बाद उसके पिता उसे ले गये इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्व

ारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने उसे घर के बाहर निकाल दिया था। आरोपीगण उसकी मारपीट करते रहते हैं और दहेज मांगते हैं। उसने भिण्ड में कार्यवाही की थी उसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था तो उसके ससुरालवाले उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते थे।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे ससुराल में मानसिक तौर पर कोई परेशानी नहीं हुई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता कहते हैं कि वह उसे गोहदी नहीं भेजेंगे। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी मारपीट आरोपीगण ने दसवें महीने वर्ष 2015 में ससुराल में की थी वह लगभग एक साल से मायके में रह रही है। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके सिर में चोट थी इसलिए वह बोल नहीं पा रही थी। पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करने को कहा था तो उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण उससे दहेज मंगते थे। पद क्रमांक 12 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे गोहदी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है तथा उसके पिता कहते हैं कि तुम गोहदी में रहो।

10. साक्षी जवानसिंह अ0सा02 एवं प्रतापसिंह अ0सा04 ने भी फरियादिया रामाबाई अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा रामाबाई की मारपीट किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

11. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 ने फरियादिया रामाबाई की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-3 को प्रमाणित किया है एवं एस0आई0 जजसिंह यादव अ0सा05 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी दिनांक 02.04.12 को नरेन्द्र के साथ हुई थी एवं शादी के एक महीने बाद से ही आरोपीगण उससे दहेज मांगते थे तथा उसकी मारपीट करते थे परन्तु यह बात कि आरोपीगण उससे दहेज मांगते थे एवं दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसकी मारपीट करते थे फरियादिया द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0डी-1 में नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादिया रामाबाई अ0सा01 के कथन पुलिस रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0डी-1 से पुष्ट नहीं रहे हैं। फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था तो उसके पिता उसे मायके ले आये थे परन्तु यह बात कि आरोपीगण ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था फरियादिया द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0डी-1 में नहीं बतायी गयी है इस प्रकार

उक्त बिन्दुपर भी फरियादिया रामाबाई अ0सा01 के कथन उसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0डी-1 से विरोधाभासी रहे हैं जो संपूर्ण अभियोजन घटना के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया रामाबाई अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण उससे दहेज मांगते थे तथा इसी कारण उसकी मारपीट करते थे परन्तु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं तो उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके बच्चा नहीं हुआ था तो उसके ससुरालवाले उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा उक्त बात अपने मुख्यपरीक्षण में नहीं बतायी गयी है बल्कि उसके द्वारा मात्र अभियोजन के उक्त सुझाव को स्वीकार किया गया है कि उसके बच्चा न होने के कारण उसके ससुरालवाले उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा यह तो स्वीकार किया गया है कि उसके बच्चा नहीं हुआ था तो उसके ससुरालवाले उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी ससुराल में कौन व्यक्ति उसे परेशान करता था एवं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके ससुरालवाले उसे किस तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते थे। उक्त साक्षी द्वारा उक्त संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किए गए हैं यह तथ्य भी फरियादिया के कथन को अविश्वसनीय बना देता है।

15. फरियादिया रामाबाई अ0सा01 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे बच्चा न होने के कारण उसके ससुरालवाले उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे ससुराल में मानसिक तौर पर कोई परेशानी नहीं हुई थी इस प्रकार फरियादिया रामाबाई अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

16. जहां तक साक्षी जवानसिंह अ0सा02 एवं प्रतापसिंह अ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो जवानसिंह अ0सा02 जो कि फरियादिया रामा का पिता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि तीनों आरोपीगण उसकी लडकी रामा से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा इसी कारण उसकी मारपीट करते थे। परन्तु यह बात कि आरोपीगण फरियादिया रामा से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे स्वयं फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादिया रामा अ0सा01 एवं जवानसिंह अ0सा02 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो साक्षी जवानसिंह अ0सा02 के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं। साक्षी जवानसिंह अ0सा02 ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि मारपीट होने के बाद उसने महिला परामर्श केन्द्र भिण्ड में शिकायत की थी वहां उससे राजीनामा हुआ था फिर नरेन्द्र उसकी लडकी को ले गया था उसके बाद उसकी लडकी को एक दिन गोहद में रखा था फिर उसके बाद मारपीट की थी उसके पास भी फोन गया था तो वह आया था उसे उसकी बच्ची के पास नहीं जाने दिया था। फिर वह थाने से पुलिस लेकर आरोपी



नरेन्द्र के घर गये थे और वहां से पुलिस ने उसकी बच्ची को निकलवाया था। परन्तु यह सब बातें कि आरोपीगण ने फरियादिया रामा के पिता जवानसिंह को फरियादिया से मिलने नहीं दिया था एवं जवानसिंह पुलिस लेकर आरोपीगण के घर गया था तथा पुलिस ने रामा को निकलवाया था स्वयं फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादिया रामाबाई अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि पुलिस ने उसे ससुराल से छुड़वाया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादिया रामाबाई अ0सा01 के कथन साक्षी जवानसिंह अ0सा02 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. जहां तक साक्षी प्रतापसिंह अ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो प्रतापसिंह अ0सा04 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी बहन रामा की मारपीट करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण उसकी बहन की मारपीट क्यों करते थे। उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपीगण फरियादिया रामा से दहेज की मांग करते थे अथवा रामा के बच्चे न होने के कारण उसकी मारपीट करते थे। इस प्रकार फरियादिया रामा अ0सा01 एवं जवानसिंह अ0सा02 के कथन की पुष्टि साक्षी प्रतापसिंह अ0सा04 द्वारा भी नहीं की गयी है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादिया रामा द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 498ए के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में फरियादिया रामाबाई अ0सा01, जवानसिंह अ0सा02 एवं प्रतापसिंह अ0सा04 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया रामाबाई अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उससे दहेज की मांग करना एवं मांग की पूर्ति न होने पर उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0डी-1 के पुलिस कथन में नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार फरियादिया रामा अ0सा01 के कथन प्र0पी-1 की पुलिस रिपोर्ट एवं प्र0डी-1 के पुलिस कथन से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। फरियादिया रामा अ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर साक्षी जवानसिंह अ0सा02 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया रामाबाई अ0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया गया है कि उसे गोहदी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है तथा फरियादिया के पिता जवानसिंह अ0सा02 द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि उसकी लड़की नरेन्द्र से कहती थी कि वह नरेन्द्र के साथ सूरत में ही रहेगी। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी संभावित है कि फरियादिया रामा आरोपी नरेन्द्र के साथ सूरत जाना चाहती है एवं इसी बात को लेकर हुए घरेलू विवाद से क्षुब्ध होकर फरियादिया द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

19. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादिया रामा अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया रामा अ0सा01 के कथन तात्विक

बिन्दुओं पर प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0डी-1 के पुलिस कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया रामा अ0सा01, जवानसिंह अ0सा02 एवं प्रतापसिंह अ0सा04 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। शेष साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया रामा के साथ क्रूरता कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 05.08.15 एवं उसके पूर्व से वार्ड नं0 16 गोहद में फरियादिया रामाबाई के पति/नातेदार होकर फरियादिया रामाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी नरेन्द्र, देवेन्द्र, एवं बिट्टीबाई को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –22.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)